

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम

तहसील.....जिला

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गतपरियोजना के निर्माण हेतु (.....हे० आरक्षित वन भूमि,हे० सिविल सोयम भूमिहे०, वन पंचायत भूमि हे०) अर्थात् कुल हे० वन भूमि काविभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकारी अधिनियम 2006 के प्रारविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा सपष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों को पातल नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सभा

ह०/-
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3

ह0/-
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.8685 हे० वन भूमि / 0.5715 सिविल सोयम नाप भूमि 2.61 हे० लो०नि०वि० बड़कोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98 एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (समदमंत) प्रयोजनों यथा सडक, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधनों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निम्न हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

ह०/-

जिलाधिकारी

नोट:-
जायेगी।

उक्त सूचना सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रपत्र-22.2

Parameter for Evaluation of Benefits notwithstanding loss of Forest

Annexure- VI (C)

Nature of Proposal

नोट:- इस परियोजना के लिए लागू नहीं है क्योंकि हस्तान्तरित भूमि का क्षेत्रफल 5.00 हे० से कम है।

SI No	Parameters	Road Tr lines & Railway Line
1	2	3
1	Increase in productivity to the specific project	
2	Benefits to economy	
3	No of Population benefited	
4	Employment potential	
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible	
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land	
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement	
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of consruction	Kerosene Oil/ Gas connection service is available in the area /dry fuel wood will be sufficient from nearby Nigam Depot during construction

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट, उत्तरकाशी

(51)

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार/भूमिवार/क्षेत्रफवार का विवरण (केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिय लागू)

क्र०सं०	घटक कम्पोनेट (Component)	आरक्षित वन भूमि (हे० में)	सिविल सोयम वन भूमि (हे० में)	वन पंचायत भूमि (हे० में)	कुल वन भूमि (हे० में)	नाप भूमि (हे० में)	अभ्युक्ति
	राना कुडा ६० ३ आरक्षित वन क्षेत्र	0.8685	0.5715		2.598	2.61	
योग		0.8685	0.5715		2.598	2.61	


अभिजासी अभियन्ता
विभाग खण्ड, लो. नि. वि.
प्रयोक्ता बसुकोट्टी उत्तरकाशी

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी